बिहार सरकार
स्वास्थ्य विभाग
अधिसूचना

पटना, दिनांक– / /2025

संख्या–17/एल 2–08/2025– /स्वा०, डा० सुधीर कुमार, प्राध्यापक, नेत्र रोग विभाग, राजकीय चिकित्सा महाविद्यालय, बेतिया, पश्चिम चम्पारण के द्वारा अपने व्यक्तिगत एव पारिवारिक समस्याओ के कारण ऐच्छिक सेवानिवृत्ति प्रदान करने हेतु समर्पित अभ्यावेदन पर सम्यक् विचारोपरान्त बिहार सेवा संहिता के नियम 74 (बी०) –सह– पठित वित्त विभागीय परिपत्र संख्या–6190 वि० दिनांक–27.04.1979 मे निहित प्रावधान के आलोक मे अधिसूचना निर्गत होने की तिथि से ऐच्छिक सेवानिवृत्ति की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

2. यदि ऐच्छिक सेवानिवृत्ति के पश्चात् सेवानिवृत्त चिकित्सक शिक्षक के विरूद्ध किसी प्रकार की अनियमितता का विषय सज्ञान मे आता है या दोषी पाये जाते हैं, तो उनके विरूद्ध नियमानुसार कानूनी कार्रवाई/विभागीय कार्यवाही की जांएगी ।

3 डा० सुधीर कुमार भविष्य मे बिहार सरकार की सेवा में पुनर्नियोजन/संविदागत नियोजन के पात्र नही होगे।

4. प्रस्ताव मे सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।

ह०/–
(रेणु कुमारी)
विशेष कार्य पदाधिकारी।

ज्ञापांक :–17/एल 2–08/2025– 892(17) पटना, दिनांक :– 08/08/2025

प्रतिलिपिः– ई–गजट कोषाग, वित्त विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपिः– महालेखाकार (ले० एवं ह०) का कार्यालय, बिहार, पटना/प्रभारी पदाधिकारी, वित्त (वैं०दा०नि०को०) विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एव आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित। साथ ही अनुरोध है कि डा० सुधीर कुमार, प्राध्यापक, नेत्र रोग विभाग, राजकीय चिकित्सा महाविद्यालय, बेतिया का अव्यवहृत उपार्जित अवकाश के समतुल्य नगद राशि की भुगतान की स्वीकृति हेतु उपार्जित अवकाश आदेयता प्रतिवेदन तथा दीर्घकालीन बाकी/बेबाकी प्रमाण–पत्र शीघ्र उपलब्ध कराने की कृपा करेगे।

प्रतिलिपि– कोषागार पदाधिकारी, जिला कोषागार, बेतिया, पश्चिम चम्पारण को सूचनार्थ एव आवश्यक कार्यार्थ हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपिः– प्राचार्य, राजकीय चिकित्सा महाविद्यालय, बेतिया, पश्चिम चम्पारण को ऐच्छिक सेवानिवृत्त चिकित्सक शिक्षक के सेवांत लाभ के भुगतान की स्वीकृति हेतु तीन प्रति मे पेंशन प्रपत्र सहित वाछित कागजात उपलब्ध कराने हेतु सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि– डा० सुधीर कुमार, प्राध्यापक, नेत्र रोग विभाग, राजकीय चिकित्सा महाविद्यालय, बेतिया को सूचनार्थ एव आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपिः– माननीय स्वास्थ्य मत्री के आप्त सचिव/अपर मुख्य सचिव, स्वास्थ्य के प्रधान आप्त सचिव/सचिव, स्वास्थ्य के प्रधान आप्त सचिव/प्रशाखा पदाधिकारी–प्रशाखा 02, 03, 08, 09 एव 18A, स्वास्थ्य विभाग को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपिः– आई० टी० मैनेजर/प्रोग्रामर, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु सूचनार्थ एव आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

08/08/2025
विशेष कार्य पदाधिकारी।

D/Roumish sir/Adhisuchna